

Date: September 12, 2025

To,

**The Manager - Listing
Dept of Corp. Services,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 543593**

**The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai – 400 051
Symbol: DBOL**

Dear Sir/Mam,

Sub: Newspaper Publication

Ref: 100 days Campaign- “Saksham Niveshak” – Investor and Protection Fund Authority

In continuation to the letter sent to the concerned shareholders on August 20, 2025 under the 100 days Campaign - “Saksham Niveshak” launched by Investor Education and Protection Fund Authority (“IEPFA”), Ministry of Corporate Affairs which aims to help shareholders claim unpaid or unclaimed dividends before they are transferred to the IEPF and pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of Business Standard (English and Hindi both) dated September 12, 2025 wherein a notice to shareholders under the said campaign have been published.

You are requested to take note of the same.

Thanking you

Your Sincerely,

For Dhampur Bio Organics Limited

Ashu Rawat

Company Secretary & Compliance Officer



इंडसइंड बैंक, 499, प्रथम तल, कोहट एन्क्लेव, पीएमपुर, नई दिल्ली – 110034

स्वर्ण की ई—नीलामी सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित उपकरणकर्ताओं ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से स्वर्ण ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। ऋण की पुनर्मुतातन में विकसता और अवसंध की शर्तों और नियमों के उल्लंघन के कारण। इन ऋण के विरुद्ध बंधक रखे गए। स्वर्ण अव सार्वजनिक शोर्तों के लिए खोले जाने वाले हैं। अनुपलब्ध नीलामी की प्रक्रिया / शर्तों राशि उन्हे/ उपकरणकर्ताओं के संबंधित ऋण खाते और संबंधित ऋण खातों में जमा की जाएगी। स्वर्ण जो रखा गया है, उसे " जो है जहाँ है", जो है जैसा है और वहां जो कुछ भी है" आधार पर नीलाम किया जाएगा। नीलामी में मांग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को इंडसइंड बैंक कि वेबसाइट www.indusind.com और स्वीकृत नीलामी सेवा प्रदाता की शर्तों और नियमों के पालन करने की आवश्यकता है।

नीलामी का आयोजन इंडसइंड बैंक अनुमोदित सेवा प्रदाता सी1 इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, उनके वेब पोर्टल www.bankeauctions.com द्वारा किया जाएगा।

बोली दस्तावेज, घोषणा, सामान्य शर्त और नियम, ये संदर्भ के लिए इंडसइंड बैंक कि वेबसाइट www.indusind.com पर और सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात्, www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।

प्राधिकृत अधिकारी विक्री के किसी भी शर्त और नियम को संशोधित या परिवर्तित का अधिकार अपनी पूरी विवेकीनता में सुरक्षित रखता है।

जीएल खाता सं.	ग्राहक का नाम	शाखा	शाखा संपर्क सं.	ग्राम में स्वर्ण का आभार
704001177289	शशीक	इंद्रमथ एक्सटेशन	8860832367	113.3 ग्राम

नीलामी जमा करने की अंतिम तिथिनांक इंडस इन्ड बैंक की वेबसाइट से 16.09.2025 तक अपरर्र

बोली जमा करने की अंतिम दिनांक इस सूचना की दिनांक से 16.09.2025 का अपराह्न 05:00 बजे तक।
उधारकर्ता नीलाम के 17.09.2025 पूर्वाह्न 11:00 बजे।
उधारकर्ता की दिनांक के प्रारंभ होने से पहले पूरे ऋण को चुकाने का विकल्प रखते हैं। ऐसा करने पर ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड के शर्तों और नियमों के अनुसार बंधक रखे गए स्वर्ण को वापस ले सकते हैं।

दिनांक: 12.09.2025
स्थान : नई दिल्ली/ उत्तर प्रदेश

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>DBO</div>
धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: धुमपुर मिल परिवर, ग्राम अरुणोली, संमल, मुरारखाना, यु.पी.—244304 CIN: L15100UP2020PLC136939, फ़ोन: +91-7302318313
ई—मेल: investors@dhampur.com, वेबसाइट: www.dhampur.com
शेयरधारकों को सूचना 100 दिन का अभिान—सक्षम निवेशक
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ") द्वारा शुक्र किए गए सक्षम निवेशक अभियान के संदर्भ में, हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि:
(1) अपना केवाईसी (स्थायी खाता संख्या), बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड), नामित व्यक्ति और संपर्क जानकारी (डाक पता, ईमेल और टेलीफोन नंबर) अपडेट करें;
(2) अपनी होल्डिंस सत्यापित करें और किसी भी अवैतनिक लाभांश या आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए शेयरों का दावा करें। इसके अलावा, शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2022–23 से 2024–2५ तक अपने अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है ताकि उनके शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में स्थानांतरित होने से रोकना जा सके;
(3) उपरोक्त के लिए या अवैतनिक लाभांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने पर नीचे दिए गए विवरण पर कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") से संपर्क करें।
<div>कंपनी के साथ पत्राचार</div> <div>श्रीमती आरा रावत, कंपनी सचिव धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, द्वितीय तल, 201 ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली – 110020 फोन: 011–6905 ६200, ईमेल: investors@dhampur.com</div> <div>आरटीए के साथ पत्राचार</div> <div>मेसर्स अलोकिका असाइनिंग्स लिमिटेड, अलवित हाउस, 205–208 नारारकली कॉम्प्लेक्स, ब्रह्मेरोलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055 फोन: 011 – 4254 1234, 23541234, ई—मेल: rla@alankit.com, info@alankit.com</div>
कृते धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड हस्ता: /— आरु रावत कंपनी सचिव

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>इंडसइंड बैंक</div>
पंजी. कार्यालय: पीएनए हाउस, पडली मंजिल, ६7 व ५7 / 1, एमआईडीसी, अंधेरी (ई), मुंबई 4000९3 Website: www.indusind.in
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार) <p>चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम नं. 2002 का ५4) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मो.0६.2025 का अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना को जारी की तिथि से ६0 दिनों के भीतर 09.0६.2025 या 10.0६.2025 तक उक्त सूचना में वर्णित राशि ₹. 3,1३,९1,480.६7 /— (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इश्यावन हजार चार सौ अस्सी व सड़सठ पैसे केवल) का भुगतान करने के लिए ऋण खाता DB0८2823N & DDW00349N के तहत ऋणी और सह—ऋणी मेसर्स मारुति एग्रो इम्युलिफियर इंडस्ट्रीज—इसके पार्टनर श्री राहुल गुप्ता व श्री अशोक गुप्ता (ऋणी), मेसर्स मारुति पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज— इसके पार्टनर श्रीमती पूजा गुप्ता व श्रीमती डिम्पती गुप्ता, श्री राहुल गुप्ता, श्री अशोक गुप्ता, श्री डिम्पती गुप्ता, श्री डिम्पती गुप्ता व श्रीमती कीना गुप्ता (सह—ऋणी) को बुलाने के लिए यहां पंजीकृत डाक के माध्यम से मांग सूचना दिनांक 2६.0६.20२५ को जारी की थी। ऋणी/ सह—ऋणी(यों) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 1३(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 0६ सितंबर, 2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/ ऋणियों और सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन लागतों, शुल्कों, उत्पन्न व्ययों के सहित उत्सापर भावी ब्याज और 09.0६.2025 व 10.0६.2025 तक राशि ₹. ३,1३,९1,480.६7 /— (रुपए तीन करोड़ तेरह लाख इश्यावन हजार चार सौ अस्सी व सड़सठ पैसे केवल) के लिए इंडसइंड बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।</p>
अचल संपत्तियों का विवरण संपत्ति—1 : निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी ५4, के पूरे गाउंड पलोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फेज—1, अशोक विहार के रूप में ज्ञात, फेज—1, दिल्ली 110052 के सभी भाग व शेप छत / टेरसि अधिकारों के बिना, क्षेत्र माप 1६7.22 वर्ग मीटर, पारिट्रिशियन डीड के तहत, ३1.८, 020 को रजिस्ट्रर, रजिस्ट्रेशन नं. 7191, सुश्री गीराज गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : प्लॉट नं. ५3, उत्तर : सड़क 30, पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 1५' संपत्ति—2 : निर्मित फ्रीहाल्ड संपत्ति नं. सी ६4 के पूरे फस्ट प्लोर, वजीरपुर आवासीय स्कीम फेज—1, अशोक विहार के रूप में ज्ञात, फेज—1, दिल्ली 110052 के सभी भाग व शेष, लीसरी मंजिल के खाली छत / टेरसि अधिकारों के 25 प्रतिशत शेयर के सहित, क्षेत्र माप 1६7.22 वर्ग मीटर, निपट डीड के तहत, 2३.12.2021 को रजिस्ट्रर, रजिस्ट्रेशन नं. 178६6 सुश्री पूजा गुप्ता व सुश्री डिम्पती गुप्ता के पक्ष में, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व : प्लॉट नं. 53, उत्तर : सड़क 30, पश्चिम : प्लॉट नं. 55, दक्षिण : लेन 1५'
दिनांक: 0६.09.2025 स्थान: दिल्ली <div>प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स इंडसइंड बैंक लि</div>

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>CSB Bank</div> <div>Trusted Heritage Smart Future</div>
सीएसबी बैंक लिमिटेड आंचलिक कार्यालय: प्रथम और दूसरा तल, समताल धर्म चर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, 20, साउथ पटेल नगर, दिल्ली-11000८
परिशिष्ट IV नियम ८(1) देखें कच्चा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)
जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का ५4)] के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित धारा 1३(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अघोहस्ताक्षरी ने मांग नोटिस दिनांकित 11.0६.201८ जारी किया था जिसमें कर्जदार श्री राजीव शंकर तिवारी पुत्र श्री चमेश तिवारी, सी—2९, पडली मंजिल, गली नंबर 1३, राशि गार्डन, मयूर विहार, फेज 1, नई दिल्ली—1100९1 और श्रीमती मंजू तिवारी पत्नी श्री राजीव शंकर तिवारी सी—2९, पडली मंजिल, गली नंबर 1३, राशि गार्डन, मयूर विहार फेज—1, नई दिल्ली—1100९1 से नोटिस में उल्लिखित दिनांक ३1.0६.201८ को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि ₹. 9८.0६.५15 /— दिनांक 01.0६.201८ से प्रभावी मासिक शेषों के साथ वार्षिक 12.74% की दर से भावी ब्याज और पुनर्मुग्तन के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, को उक्त नोटिस प्राप्त की तारीख से ६0 दिनों के अंदर चुकता करने की मांग की गई। कर्जदार और जमानती के राशि चुकाने में असफल रहने पर कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ८ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 1३ की उप—धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अघोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का ६ सितंबर, 2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और जमानती तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति से कोई भी लेन—देन दिनांक ३1.05.201८ को संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए राशि ₹. 9८.०६.५15 /— दिनांक 01.0६.201८ से प्रभावी मासिक शेषों के साथ लागू वार्षिक ब्याज दर से ब्याज और पुनर्मुग्तन के पूर्ण भुगतान की तारीख तक लागू दंड स्वरूप ब्याज और अन्य लागतों एवं व्ययों, यदि लागू हों, के लिए सीएसबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। [प्रत्यमुत्र परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के संबंध में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 1३ की उप—धारा (६) के प्रावधानों में कर्जदार का ब्याज काटकर दिया जाता है।]
अचल संपत्ति का विवरण
मेसर्स फारमिड प्रोपार्टी के नाम में इसके प्रोपराइटर श्री राजीव शंकर तिवारी के मकाम में, गाटा संख्या ३77, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, गाँव सिमरौली, परगना— टप्पाल, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) विस्तृत प्लॉट माप 1.५९1 हेक्टेयर के समस्त भाग व खंड के स्वात्निक विलेख के जमा द्वारा बंधन, जिसका विस्तृत विवरण विक्री विलेख संख्या ५7५2 / 12 दिनांक 24.05.2012 में दिया गया है और विराजी सीमा निमानुसार ६— पूर्व: गाटा संख्या 372 से; पश्चिम: सतौरा की कृषि भूमि; उत्तर: अर्चना की कृषि भूमि; दक्षिण: भोतू की कृषि भूमि
दिनांक: 0६.09.2025 स्थान: नई दिल्ली <div>हस्ता: /— प्राधिकृत अधिकारी (सीएसबी बैंक लिमिटेड)</div>

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के सम्मक्ष नई दिल्ली सीपी (सीएफ) नं. 7 / एफजी / 202५
सम्बद्ध सीए (सीएफ) नं. 45 / एफजी / 2024
कंपनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३2 और अन्य लागू प्राग्व सूचनाओं के मामले में कंपनी (समझौता व्यवस्था और समागमन) नियम, 201६ के साथ पढ़े और
व्यवस्था की योजना के मामले में:
फाइनोस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेडहस्तांतरणकर्ता/ याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 1 और
बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेडहस्तांतरित/ याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 2
(संयुक्त रूप से “याधिकारकर्ता कम्पनियां”) याचिका की सूचना
उपरोक्त नामित याधिकारकर्ता कंपनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३2 के अंतर्गत फाइनेंस मॉड्यूलर कंपनी लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता) / याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 1) के साथ बलार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरित) / याधिकारकर्ता कम्पनी नं. 2) के बीच व्यवस्था की योजना के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 201३ की धारा 2३0–2३2 के अंतर्गत 01 सितम्बर, 2025 को एक याचिका प्रस्तुत कि गई थी। सूचना जारी की गई और कथित याचिका पर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के सम्मक्ष सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।
कोई व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो वह याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को अपने आग्रय की सूचना, अपने नाम और पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन से कम से कम दो (२) दिन पूर्व याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के पास भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का आधार या शायदयन की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता द्वारा याचिका की प्रति की मांग करने वाले व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
हस्ता /— अधिवक्ता अरुण सक्सेना सक्सेना एंड सक्सेना लॉ चैम्बर्स एडवोकेट्स एंड अर्टर्नी याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता ६02–६03, नई दिल्ली हाउस, 27 बारायतना रोड, नई दिल्ली—110001 ई मेल आईडी: advisor@ssilegal.com फोन : 011–4३044999

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div>
--

HINDUJA HOUSING FINANCE

निजी समझौता विधि के माध्यम से विक्री की सूचना
वित्तीय समितियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण हित अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अधीन एगारवाफाल के मा प्राप्तिपर घत एवं अदत्त परिणामों की विधि।
एगारवाफाल के अधिकृत अधिकारी के रूप में अघोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूचित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। बड़े मामले पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए एगारवाफाल को स्वीकृत नियमों के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से अनुसूची में उल्लेखित प्रत्यागन संपत्ति ‘जैसा है जहाँ है’ और ‘जैसा है जो है’ के आधार पर विक्री के लिए उपलब्ध है। निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति की विक्री के माफक प्रियम और शर्त निम्नानुसार हैं:

- निजी समझौते के माध्यम से ‘जैसा है जहाँ है’ और ‘जैसा है जो है’ के आधार पर विक्री की जाएगी।
- केता को संपत्ति की खरीद के लिए एगारवाफाल के प्रस्ताव की स्वीकृति की शर्ति के अलावे कार्य दिवस को विक्री मूल्य का 2५% और उसके बाद 1५ दिनों के भीतर शेष राशि जमा करना करनी होगी।
- केता को आवेदन के साथ प्रस्तावित रकम की 10% रकम जमा करनी होगी, जिसे उपरोक्त अनुच्छेद (2) के अनुसार जमा किए गए 25% की शेष राशि के तहत समाशोधित कर दिया जाएगा।
- गईरकम अनुच्छेद (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, पहले से भुगतान की गई रकम सहित आवेदन के साथ जमा की गई 10% राशि जब्त कर ली जाएगी।
- एगारवाफाल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि निजी किसी व्यक्ति को लौटाकर दे दी जाएगी।
- संपत्ति एगारवाफाल को ज्ञात या अज्ञात सभी मंजूज और भविष्य के ऋणभारों के साथ विक्री की जा रही है। अधिकृत अधिकारी/प्रत्यागन ऋणदाता किसी भी तारीख के वारों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगी।
- केता को अपनी स्तुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौता के माध्यम से विक्री के तहत) से संबंधित सभी पदलुओं पर यथावधि परिश्रम करना चाहिए। केता बाद की लारीख में इस संबंध में अधिकृत अधिकारी/ प्रत्यागन ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हक्कदार नहीं होगा।
- एगारवाफाल के पास बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में, एगारवाफाल सर्वोच्च प्रस्ताव स्वीकार करेगी।
- इच्छुक पार्टियां आगे के विवरण/स्वीकार्यक तथा तिथिंक **2६.09.2025** को अग्रा उत्तरने पहले अपने आवेदन जमा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया दिनांक **27.09.2025** को सम्पर्क किया जाएगा।
- केता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टैप्स हट्टुदी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्कों का वहन करना होगा।
- विक्री संबंधी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

- ब्लॉक ए सरला विहार इस्टेट ग्राम लेनी में स्थित खसरा सं. 991/ निन में 60 वर्ग गार्ड यानी 50.16६ वर्ग मीटर परिमाण की जमीन
आंशिक मूल्य: ₹. ६50000/ (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
- ग्राम सुदुल्लयाम, एगलफुल केर विहार ब्लॉक ए के नाम से ज्ञात कोलनी में स्थित खसरा सं. ३92 एवं 39३ के हिस्से में 200 वर्ग गार्ड परिमाण क्षेत्रफल के प्लॉट पर निर्मित ६50 वर्ग फीट परिमाण क्षेत्रफल का घन के अधिकतम के बगैर दूसरी मंजिल पर प्लेट नं. एगारवा (ग्रामाने की और आगवस्त्र प्लेट)
आंशिक मूल्य: ₹. ९70000/ (रुपये नौ लाख सत्तर हजार मात्र)
- ग्राम लेनी, एगलफुल केर विहार के नाम में ज्ञात कोलनी परगना लेनी गाजियाबाद में स्थित खसरा सं. 1३05 के हिस्से में प्लॉट सं. एफ-53 पर निर्मित 400 वर्ग फीट परिमाण के सुपर विल्ट अप क्षेत्रफल का घन के अधिकतम के बगैर दूसरी मंजिल पर प्लेट नं. एगारवाए (एगलमंडी)
आंशिक मूल्य: ₹. ६00000/ (रुपये छह लाख मात्र)

तारीख: **12.0९.202५**, स्थान: गाजियाबाद अधिकृत अधिकारी, हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना आम जनता को सूचित किया जाता है कि विन्गुप्ता भटनगर और तथा भटनगर प्लॉट संख्या 22९, क्षेत्रफल 12६.40 वर्ग फुट, 0६वां पार्क जय गौर युग्म सिटी, प्लॉट—0३, भोरगापुर, सेक्टर—1९, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के उप प्लॉट विलेख दिनांक 24.0६.2022 के माध्यम से मालिक थे और तथा भटनगर की मृत्यु (02.04.2024) को हो गई, उनकी मृत्यु के बाद उनके पति विन्गुप्ता भटनगर हस्तांतरण पत्र दिनांक 2८.05.202५ के अनुसार उपरोक्त संपत्ति संपत्ति के मालिक बन गए और अब, विन्गुप्ता भटनगर उपरोक्त संपत्ति अखिलेश कुमार को बेच रहे हैं और उक्त संपत्ति का विस्वीकरण आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति में कोई अधिकार/ हित/ राशिपत्र है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अघोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में वर्तमान से 1५ दिनों के भीतर सूचित करें। नीचे लिखे प्रबंधक, नीचा आई एगवाइसरी नं—220, द्वितीय तल, नोएडा नन, टावर—बी, सेक्टर—६2, नोएडा, उत्तर प्रदेश—2०1३0९ नई आईडी—ncr@noeayes.co.in सड़क संख्या—7५4177७२

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री विजय भूषण भाट्टाज और श्रीमती उषा विजय भाट्टाज, सूचना एन्क्लेव, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 2३ की निर्मित पूरी दूसरी मंजिल के पूर्ण मालिक हैं (जिसे इसके बाद “उक्त संपत्ति” कहा जाएगा)। संपूर्ण निर्मित संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज जैसे कि स्थायी प्लॉट सहा विवेख दिनांक २0.0३.19९६, मूल ग्रेटेशन प्लॉट दिनांक 1९.0६.19९६, मूल ग्रेटेशन प्लॉट दिनांक 01.12.2000, मूल हस्तांतरण विलेख दिनांक 19.02.2001, और मूल जीपीए दिनांक 2८.07.२00८ और विन्ध्य कारप दिनांक 2८.07.200८, जो वर्तमान में सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये जो गए हैं/गुम हो गए हैं। इन उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में एक गुमगुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस अपराध शाखा नं L.R. No. ३19892३/2025 दिनांक 11.०९.202५ को दर्ज की गई है। मालिक ने दावा किया है कि उक्त संपत्ति सभी भाग से मुक्त है। और उन्होंने उक्त संपत्ति की विक्री के लिए श्रीमती राधा कौशला के साथ एक विक्री समझौते निष्पादित किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक, एगएलसी थापर हाउस, जगन्नाथ नई दिल्ली से आधार ऋण या ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से संपत्ति पर बंधक या अन्र्था एक भार बनने का इयाद करता है। किसी भी व्यक्ति या वित्तीय जो उपरोक्त सौए हुए दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या हित का दावा करता है, या कोई आदि प्रस्ता है, तो इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की विलेख से 07 दिनों के भीतर उपरोक्त एगवाइसरी शाखा के साथ—ब्याज ईमेल पर ranjanjh3३1६@gmail.com पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। ऐसा न होने पर, ऐसा कोई भी दावा निरर्थक और अन्याय माना जाएगा, तथा संपत्ति का स्वात्निक स्पष्ट, विन्ध्य योग्य, दोषी या भारों से मुक्त माना जाएगा, तथा समग्रमूलक बंधक बनाने के लिए खुला माना जाएगा। नवीनगी विप्राटी, अखिलेश एगसी—६३, जयपुरिया सतगुरुज खाना, सौराष्ट्रपुर, गाजियाबाद, भोबाइल नं. ९६९9०६८717

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय भूषण भाट्टाज और श्रीमती उषा विजय भाट्टाज, सूचना एन्क्लेव, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्या 2३ की निर्मित पूरी दूसरी मंजिल के पूर्ण मालिक हैं (जिसे इसके बाद “उक्त संपत्ति” कहा जाएगा)। संपूर्ण निर्मित संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज जैसे कि स्थायी प्लॉट सहा विवेख दिनांक २0.०३.1९९६, मूल ग्रेटेशन प्लॉट दिनांक १९.०६.1९९६, मूल ग्रेटेशन प्लॉट दिनांक ०1.12.2000, मूल हस्तांतरण विलेख दिनांक 1९.02.2001, और मूल जीपीए दिनांक 2८.07.२00८ और विन्ध्य कारप दिनांक 2८.07.200८, जो वर्तमान में सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये जो गए हैं/गुम हो गए हैं। इन उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में एक गुमगुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस अपराध शाखा नं L.R. No. ३198923/2025 दिनांक 11.०९.202५ को दर्ज की गई है। मालिक ने दावा किया है कि उक्त संपत्ति सभी भाग से मुक्त है। और उन्होंने उक्त संपत्ति की विक्री के लिए श्रीमती राधा कौशला के साथ एक विक्री समझौते निष्पादित किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक, एगएलसी थापर हाउस, जगन्नाथ नई दिल्ली से आधार ऋण या ऋण सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से संपत्ति पर बंधक या अन्र्था एक भार बनने का इयाद करता है। किसी भी व्यक्ति या वित्तीय जो उपरोक्त सौए हुए दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या हित का दावा करता है, या कोई आदि प्रस्ता है, तो इसके द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की विलेख से 07 दिनों के भीतर उपरोक्त एगवाइसरी शाखा के साथ—ब्याज ईमेल पर ranjanjh३३1६@gmail.com पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। ऐसा न होने पर, ऐसा कोई भी दावा निरर्थक और अन्याय माना जाएगा, तथा संपत्ति का स्वात्निक स्पष्ट, विन्ध्य योग्य, दोषी या भारों से मुक्त माना जाएगा, तथा समग्रमूलक बंधक बनाने के लिए खुला माना जाएगा। नवीनगी विप्राटी, अखिलेश एगसी—६३, जयपुरिया सतगुरुज खाना, सौराष्ट्रपुर, गाजियाबाद, भोबाइल नं. ९६९9०६८717
PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that my client Mittul Mongia, son of Shri Sundar Dass, resident of FW03 302B M3M GOLF ESTATE SECTOR 65 Gurgaon, intends to purchase the property described herein below from Arvind Agarwal son of Vipin Chandra Agarwal and Mrs. Kavita Agarwal wife of Arvind Agarwal and both residents of B-30 Brij Vihar Pitampura Delhi 110034. Property Description: Independent residential house bearing No C 134 Mayfield Garden Sector 50 Gurgaon, Haryana, admeasuring 275 sq. yards, along with all rights, title and interest therein. Any person(s), institution(s), (bank(s), authority or entity having any claim, right, title, interest, lien, mortgage, charge, lease, tenancy, or objection whatsoever in respect of the said property is hereby called upon to make the same known in writing to the undersigned within 10(Ten) days from the date of publication of this notice. If no claim is received within the stipulated period, it shall be presumed that the said property is free from all encumbrances, claims, demands, disputes, attachments, litigation, mortgages, charges or liens of any nature, and my client shall proceed with the transaction accordingly.
Advocate Anju Sharma Mail id: advanjusharmagurgaon@gmail.com Phone No:- 94167६875५

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div>
--

यूको बैंक